

112



PBR निगम उज्जैन/खं: 21/2017/1596

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 2017 पुनरीक्षण

133
16/5/17

पार्थी अभिभाषक श्री पुनरीक्षण
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 16-5-17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

- (1) सुरेन्द्र सिंह पिता तखतसिंह आयु 35 वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम जैथल तहसील
घटिंट्या जिला उज्जैन
- (2) हड़मतसिंह पिता तखतसिंह आयु 45 वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम जैथल तहसील
घटिंट्या जिला उज्जैन
- (3) अजबकूवर पति स्व.मनोहरसिंह आयु 60
वर्ष निवासी ग्राम जैथल तहसील घटिंट्या
जिला उज्जैन
- (4) मनोहर सिंह पिता केसर सिंह आयु 62
वर्ष निवासी ग्राम जैथल तहसील तहसील
घटिंट्या जिला उज्जैन

.....पुनरीक्षण/आवेदकगण

विरुद्ध

- (1) गजेन्द्र पिता मेहरवान सिंह आयु 35 वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम जैथल तहसील
घटिंट्या जिला उज्जैन
- (2) मेहरवान सिंह पिता लाल सिंह आयु 65
वर्ष निवासी ग्राम जैथल तहसील घटिंट्या
जिला उज्जैन
- (3) मध्य प्रदेश शासन
..... प्रत्यार्थी/ अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

(प्रकरण क्रमांक 09/ अ.13/15-16 श्रीमति सुरेन्द्र सिंह विरुद्ध गजेन्द्र के प्रकरण मे पारित

सुरेन्द्र सिंह

3

हस्ताक्षर




मनोहर सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1596

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 25.10.2018 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |